UPMH010053452025

**न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2, महराजगंज**
उपस्थितः श्री ज्ञानेन्द्र राव, एच0जे0एस0 (UP6294)

**फौजदारी निगरानी संख्या–255/2025**

01–कुसमावती उम्र करीब 52 वर्ष पत्नी लालजी।

02–लालजी उम्र करीब 56 वर्ष पुत्र बब्बन।

03–माया उम्र करीब 27 वर्ष पुत्री लालजी।

04–छाया उम्र करीब 25 वर्ष पुत्री लालजी।

05–जाया उम्र करीब 23 वर्ष पुत्री लालजी।

06–कौशिल्या उम्र करीब 20 वर्ष पुत्री लालजी।

07–श्रीराम उम्र करीब 18 वर्ष पुत्र लालजी।

08–उपेन्द्र उम्र करीब 24 वर्ष पुत्र मंगरू।

साकिनान मौजा महम्दा टोला घड़बुड़वां, थाना श्यामदेउरवां, जनपद महराजगंज।

**.....निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगण**

**बनाम**

1–उत्तर प्रदेश राज्य।

2–जगत उम्र करीब 54 वर्ष पुत्र बब्बन।

साकिन मौजा महम्दा टोला घड़बुड़वां, थाना श्यामदेउरवां, जनपद महराजगंज।

**.....**

**विपक्षीगण**

**निर्णय**

**01–** यह फौजदारी निगरानी विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज द्वारा परिवाद संख्या–14409/2024, जगत बनाम कुसमावती वगैरह, थाना श्यामदेउरवां, जनपद महराजगंज में पारित तलबी आदेश दिनांकित 18.09.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।

**02–** निगरानी हेतु आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी की पत्नी शकुन्तला देवी अपने घर की साफ–सफाई कर रही थी तो दिनांक 21.04.2024 को समय करीब 6.00 बजे सुबह पुरानी रंजिश को लेकर कुसमावती पत्नी लालजी, लालजी पुत्र बब्बन, माया, छाया, जाया, कौशिल्या पुत्रीगण लालजी, श्रीराम पुत्र लालजी व उपेन्द्र पुत्र मंगरू परिवादी की पत्नी को भद्दी भद्दी गाली–गुप्ता देते हुए परिवादी की पत्नी शकुन्तला को लात मुक्का व थप्पड़ से उक्त सभी लोग मारने–पीटने लगे। जिससे उसकी पत्नी बेहोश हो गयी और जमीन पर गिर गई, शोर पर ज्ञान्ती पत्नी उमेश, शकुन्तला पत्नी नन्दलाल और व गॉव के अन्य लोग आ गये और बीच–बचाव किये। मुल्जिमानगण भीड़ इकट्ठा देखकर जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। तब जाकर परिवादी की पत्नी शकुन्तला देवी की जान बची। परिवादी अपनी पत्नी शकुन्तला का दवा ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परतावल कराया, जहाँ पर हालत गमभीर देख डाक्टर द्वारा मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया, परिवादी की पत्नी का तबीयत खराब चल रही है। परिवादी ने घटना के बावत स्थानीय थाने सूचना दिया, परन्तु स्थानीय थाने की पुलिस मुल्जिमानगण के प्रभाव आकर मामले को संक्षिप्त करते हुए धारा–107, 116, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता मे दोनो पक्षो को चालान कर दिया, परन्तु मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। उक्त लोगो के द्वारा परिवादी की पत्नी को पूर्व में भी मारा–पीटा गया था। परिवादी की पत्नी का मंगल सूत्र मार–पीट के दौरान कुसमावती ने झटक कर रख लिया, परिवादी डरा व सहमा हुआ है कि उक्त लोग कभी परिवादी व परिवादी के परिवार वालो के साथ अप्रिय घटना कारित कर सकते हैं। घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महराजगंज को दिया, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब यह परिवाद दाखिल किया गया।

**03–** परिवादी ने विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01 महराजगंज के समक्ष अपना बयान अन्तर्गत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा पी0डब्ल्यू–1 व पी0डब्ल्यू–2 का बयान अन्तर्गत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज कराया तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज द्वारा आक्षेपित तलबी आदेश पारित किया।

**04–** निगरानी याचिका में यह आधार लिया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–18.09.2025 गलत व खिलाफ कानून व वाक्यात के है, इसलिए अपास्त होने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक–18.09.2025 पारित करते समय पत्रावली का सम्यक परिशीलन नहीं किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय विधि का ध्यान न रखते हुए सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं दिनांक–14.08.2024 को आदेश पारित किया गया कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता को परिवाद के रुप में दर्ज किया जाय, पत्रावली वास्ते ब्यान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस दिनांक–03.10.2024 को पेश हो, प्रस्तावित अभियुक्तगण/विपक्षीगण को नोटिस जारी हो। बावजूद इसके निगरानीकर्तागण को नोटिस प्रेषित नहीं की गई तथा आनन–फानन में कार्यवाही पूर्ण कर निगरानीकर्तागण को दिनांक–18.09.2025 को विचारण हेतु तलब कर लिया गया है। इसलिए प्रश्नगत आदेश दिनांकि–18.09.2025 निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्तागण को सूचना सूचना मिला तो दंग रह गया और अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुआयना दिनांक 27.10.2025 को दिया और दिनांक 29.10.2025 को निरीक्षण के उपरान्त जानकारी हुआ। निगरानीकर्तागण एवं विपक्षी संख्या–02 सगे पट्टीदार है तथा जमीन सम्बन्धी मुकदमा न्यायालय सिविल जज अवर खण्ड त्वरित कोर्ट संख्या–02, महराजगंज में वाद संख्या–849/2022, लालजी बनाम जगत आदि चल रहा है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक–11.12.2025 नियत है तथा दूसरा मुकदमा यायालय सिविल जज, अवर खण्ड, महराजगंज के न्यायालय में वाद संख्या–763/2023 लालजी बनाम नन्दलाल आदि विचाराधीन है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक–29.11.2025 है, जो निगरानीकर्ता संख्या–2 द्वारा परिवादी के विरुद्ध संस्थित किया गया है, जिसमें विपक्षी संख्या–2 असल होता देख अपनी पत्नी शकुन्तला देवी को अगवा कर आपराधिक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें लेश मात्र भी सत्यता नहीं है, इसलिए भी आदेश दिनांकित 18.09.2025 निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक मामलों में दिशा निर्देश दिया गया है कि सिविल मामले लम्बित रहते हुए आपराधिक मामला नहीं चल सकता है। जिसके आधार पर भी आदेश दिनांकित–18.09.2025 निरस्त

होने योग्य है। निवेदन किया गया है कि आपराधिक निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–18.09.2025 अपास्त किया जाय।

**05–** निगरानी अंगीकृत होने के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या–02 को नोटिस जारी की गयी, जो जरिए वकालतनामा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित आया। विपक्षी संख्या–01 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) न्यायालय उपस्थित हुये।

**06–** निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी के समर्थन में नकल आदेश दिनांक 18.09.2025, परिवाद संख्या–14409/2024, जगत बनाम कुसमावती वगैरह, थाना श्यामदेउरवा, जनपद महराजगंज प्रस्तुत किया गया।

**07–** निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क व विपक्षी संख्या–02 व राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

**08–** विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तरफ से तर्क व्यक्त किया गया, कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जाये।

**09–** निगरानीकर्ता की ओर से कथन किया गया कि विद्धान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज का आदेश दिनांक 18.09.2025 विधि विरुद्ध है व तथ्य से परे है, जो एक विधि विरुद्ध आदेश है। निवेदन किया गया है कि निगरानी स्वीकार की जाय।

**10–** इस निगरानी के निस्तारण हेतु आवश्यक अवधारणीय बिन्दु यह है कि क्या विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित तलबी आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई है अथवा अपने क्षेत्राधिकार का अनुचित प्रयोग किया गया है?

**11–** विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज ने अपने आक्षेपित तलबी आदेश में उल्लेख किया है कि ''परिवाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता एवं साक्षीगण पी0डब्ल्यू–1 नन्दलाल, पी0डब्ल्यू–2 उमेश के बयान के

आधार पर अभियुक्तगण कुसमावती, लालजी, माया, जाया, कौशिल्या, श्रीराम व उपेन्द्र को धारा–323,506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में अपनी पत्नी का मंगलसूत्र मारपीट के दौरान विपक्षी कुसमावती द्वारा झटक लेने का कथन तो किया है, किन्तु अपने बयान धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीनने का कथन नहीं किया है और न ही उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्य के तौर पर कोई रसीद दाखिल की गयी है। ऐसे में विपक्षीगण को उक्त कथन के सम्बन्ध में तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है'' और अभियुक्तगण कुसमावती, लालजी, माया, जाया, कौशिल्या, श्रीराम व उपेन्द्र को धारा–323,506 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण हेतु तलब किया किया गया है।'' इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करते समय परिवाद पद, परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता, परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण अन्तर्गत धारा–202 दण्ड प्रकिया संहिता पी0डब्ल्यू–1 व पी0डब्ल्यू–2 के साक्ष्य के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन करने के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी की पत्नी का मंगलसूत्र झटक लेने पर विवेचन किया गया है।

**12–** यह सुस्थापित है कि परिवाद के मामलों में अभियुक्तगण को तलब किये जाने के पूर्व न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है अथवा नही और इस हेतु मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षित नही है कि वह धारा–200 व 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता में दिये गये बयान की त्रुटियों का आकलन करें।

**13–** विधि व्यवस्था **भूषण कुमार व अन्य बनाम एन.सी.टी. दिल्ली, ए.आई.आर. 2012 एस.सी 1747 में** माननीय उच्चतम न्यायालय यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा–204 दण्ड प्रक्रिया संहिता में अभियुक्तगण की तलबी हेतु विस्तृत कारण देते हुए आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है, यदि मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त में तलबी आदेश पारित करने का कारण अंकित किया गया है, तो, ऐसे आदेश को सही माना जायेगा। इस मामले में भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्ता

अंकिता को तलब करने व अन्य अभियुक्तगण को तलब न करने का कारण अंकित किया गया है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने का कारण नहीं लिखा गया है। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **मेसर्स सोनिया गोविन्द गिरवानी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2013 (83) ए.सी.सी 312 इलाहाबाद,** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि परिवाद में तलबी आदेश पारित करते समय विस्तृत आदेश व कारण की आवश्यकता नहीं है, यदि संक्षिप्त में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कारण अंकित किया गया है, तो यह माना जायेगा कि आदेशिका जारी करने व संज्ञान लेने हेतु उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकनोपरान्त संक्षिप्त कारण व्यक्त करते हुए आदेश पारित किया गया है, ऐसा आदेश विधिक है। विधि व्यवस्था **अंकित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) 9 एस.सी.सी. 460** व **जसपाल सिंह कौरल बनाम एन.सी.टी. दिल्ली राज्य (2025) 5 एस.सी.सी 756** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा–397 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अत्यन्त ही सीमित है एवं उसके द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की वैधता व क्षेत्राधिकार ही देखा जाना चाहिए, किसी साक्ष्य पर क्या विचार व्यक्त किया गया है, इस पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं देखा जाना है। यह केवल न्यायालय की प्रक्रिया में दुरूपयोग को रोकने के लिए एवं न्याय की पूर्ति के उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। इस मामले में भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संक्षिप्त कारण स्पष्ट करते हुए आदेश पारित किया गया है जो कि विधिक सही है, इसमें पुनरीक्षण न्यायालय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उपरोक्त विधि व्यवस्था इस मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में लागू होती है।

**14–** उपरोक्त विश्लेषणोपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.09.2025 में विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक विश्लेषण करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आलोच्य आदेश दिनांकित 18.09.2025में क्षेत्राधिकार विधिक त्रुटि नहीं है और न ही कोई तात्विक अनियमितता कारित की गयी है और न ही क्षेत्राधिकार से परे जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी निरस्त

किये जाने योग्य है।

## आदेश

**15–** फौजदारी निगरानी संख्या–255/2025, कुसमावती वगैरह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, (अवर खण्ड), कोर्ट संख्या–01, महराजगंज द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 18.09.2025 पुष्ट किया जाता है।

**16–** इस निर्णय की प्रतिलिपि सम्बन्धित न्यायालय को संप्रेषित किया जाये।

**17–** निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः 01.09.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करते हुए घोषित किया गया।

दिनांकः 01.09.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।